



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्र. गवालियर म०प्र.

प्र० ००-----/२०११/निगरानी R-१७१८-I/२०११

पहलवान सिंह पुत्र नत्थि निवासी ग्राम
उचिया तहसील स्पोडा जिला दतिया

..... प्राथी'

श्रीमन् श्री शमी आमा
द्वारा आज दि. २५-१०-११ को
प्रस्तुत
Shri Shambhu Singh
कलक ओफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मप्र. चालिया

बनाम

आनंद कुमार पुत्र खुमान सिंह निवासी
ग्राम उचिया तहसील स्पोडा जिला
दतिया म०प्र. प्रतिप्राथी'

निगरानी आवेदन अन्तर्गतधारा ५० म०प्र०प्र. रा. संहिता १९५९

के तहत

महोदय,

निवेदन है कि प्राथी' की ओर से निगरानी आवेदन श्रीमान अपर आयुक्त

महोदय गवालियर संभाग गवालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक १०/०९-१०/अंगील में
पारित आदेश दिनांक १४-७-२०११ के विलए निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि आदेश अधिक्षम न्यायालय विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रिया
के विपरीत है क्योंकि प्रकरण की वाहतविकता यह है कि ग्राम उचिया
तहसील स्पोडा में कृषि भूमि सर्वक्रमांक २३ रकवा २०.३३ है। ऐसे
सर्वे क्रमांक ३८ रकवा ०.५० है। सर्वे क्रमांक ४० रकवा १.९३ है। व
का प्राथी' भूमि स्वामी होकर आधिक्त्य धारी है प्राथी' को अपने
घर खर्चाते कर्ज लेन्हेतु आवश्यकता हड़ मुझ प्राथी' द्वारा सन १९९७
में उक्त भूमि प्रतिप्राथी' के यहां रहने रखकर कर्ज लिया तथा बाद में
सम्पूण्ड करा कर दिया प्रतिप्राथी' द्वारा स्टाम्प पेपर पर रूपये क
की लिखापढ़ी की जिसकी नोटरी करायी। बाद में उसी लिखापढ़ी

—पद्मेवानसिंह→ / —आनंदकुमार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक... R-1718-1/1.1... जिला ५१८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०९-९-१६	<p>आकेडम स्कूल में पहलेपानी का उपचार अनंद - डाक्टर छक्का को आगे नहीं चलाने वाले</p> <p>आकेडम - घर छप्पन किसी </p> <p>सिद्धि - आघार पर वर्तमान उठाने इसी दौरे पर समझ</p> <p>मूर्ति - जाति है।</p>	५५२०। आगे नहीं चलाने वाले